रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2018, शनिवार/अग्रहायण 25—पौष 1, 1940
No. 31] NEW DELHI, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 25—PAUSA 1, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

का.नि.आ.118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (प्रशासनिक अधिकारी),समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी(प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम 2010,में, -

(क) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

(ख) अनुसूची मे, :-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

New Delhi, the 11th December, 2018

S.R.O.128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'B', (Scientific Staff posts) Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'B', (Scientific Staff Recruitment)(Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Integrated Headquarters, Ministry of Defence(Navy) Group 'B', (Scientific Staff posts) Recruitment Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:

"3. Number of posts, classification and Level in the Pay matrix. Number of posts, classification and level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns [2] to [4] of the schedule.";

3. In the said rules, in the Schedule,-

(I) against the post of Senior Scientific Assistant at serial 1,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:

"Level in Pay Matix
(4)
Level-7 (Rs.44900-142400)";

(b) in column (11), for the entry "the scale of pay of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2", the entry "Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix" shall be substituted;

(II) against the post of Scientific Assistant at serial 2,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:

"Level in Pay Matix
(4)
Level-6 (Rs.35400-112400)";

(b) in column 9, against the entry, the following shall be substituted:-

"two years";

(c) in column (11), for the entry "the scale of pay of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800 in PB-1", the entry "Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. CP(NG)2828/Gp-B/Sci Staff/RR/512/ D(Apptt)/18]

BISWAJIT GUHA, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide notification number S.R.O.19, dated 04th March, 2014.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

का.नि.आ.129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, प्रशासनिक समूह 'क' और 'ख' पदों के भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय जो प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से पहले लोप किया गया है, प्रशासनिक अधिकारी पद का विनिमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—**(1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय,रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पदों) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) और (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	297* (2018) *(कार्य भार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900 रु.- 142400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है।	भर्ती का पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः (i) 75% प्रोन्नति द्वारा जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा कर चुका हो। (ii) 25% प्रोन्नति द्वारा जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400) में ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक और डाटा इन्ट्री आपरेटर 'घ' के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो, से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा। प्रशिक्षण: पात्र ज्येष्ठ प्रशासनिक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर 'घ' द्वारा संबंधित क्षेत्र में कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र (सीईपीटीएएम) अथवा किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से 2 से 4 सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण का सफल समापन। **टिप्पण 1:** यदि किसी वर्ष सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक से पदोन्नति करके कमी पूरी की जाएगी। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समितिः 1. महानिदेशक (मानव संसाधन) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन -- अध्यक्ष 2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन -- सदस्य 3. अवर सचिव, (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा सहायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्तीय (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से (डीओपी/डीएचआरडी) उप निदेशक। -- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य नहीं है।

किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो । (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव का होनाः- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) कार्मिक प्रबंधन अथवा प्रशासन अथवा स्थापना में दो वर्षों का अनुभव । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (i) **नोट 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[सं. डीएचआरडी/16342/आरआरएस/प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/02/1941/डी(आर एवं डी)/18]

हर्षा रानी, अवर सचिव

(DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

New Delhi, the 30th November, 2018

S.R.O. 129.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the post of Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the post of Administrative Officer, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.**—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	297* (2018) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various method.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	(i) 75 per cent by promotion failing which by deputation. (ii) 25 per cent by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) 75 per cent by promotion from Senior Administrative Assistant in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. (ii) 25 percent by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination(LDCE) from Senior Administrative Assistant and Data Entry Operator 'D' in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-	Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Director General (HR) Defence Research and Development Organisation —Chairman 2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resources Development, Defence Research and Development Organisation —Member 3. Under Secretary, (Research and Development), Ministry of Defence or Assistant	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

112400) with three years regular service in the grade. Training : Successful completion of 2 to 4 weeks mandatory training by eligible Senior Administrative Assistant and Data Entry Operator 'D' in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management (CEPTAM) or any other recognised training institutes. **Note 1 :** In case sufficient numbers of candidates are not available in a year to fill vacancies through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) the deficiency shall be made up by promotion from Senior Administrative Assistant. **Note 2**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central or State Government or Union territory: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-12400) or in the parent cadre or department; and (b) possessing following educational qualifications and experience:- (i) a degree from a recognised University; (ii) two year experience in Personal Management or Administration or Establishment. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-	FinancialAdvisor, Integrated Finance(Research and Development), Ministry of Defence or Deputy Director of (DOP/DHRD) from Defence Research and Development Orgnisation. —Member	

cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[No.DHRD/16342/RRs/Admin Cadre/C/P/02/1941/D(R&D)/18]

HARSHA RANI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.12 12:42:00 +05'30'